प्रेस विज्ञप्ति थाना तिर्वा जनपद कन्नौज दिनांक 15.09.2020

जनपद कन्नौज में उज्ज्वला कृषि बाजार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार, एक सीआज कार बरामद।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के निर्देशों के क्रम में जनपद कन्नौज में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री विनोद कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी तिर्वा श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में निरीक्षक डा0 विनोद सिंह प्रभारी साइबर सेल व उ0नि0 शैलेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलान्स टीम, एवं उ0नि0 राकेश सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कन्नौज के साथ प्रभारी निरीक्षक थाना तिर्वा श्री इन्द्रपाल सरोज को मय टीम के लगाया गया, दिनांक 14.09.2020 को वादी अवधेश कुमार शुक्ला ने सूचना दी कि मेरे साथ जिन लोगों ने घटना की है वो फगुआ भट्टा पर खडे है, वादी की बात पर विश्वास करके शिवप्यारी इण्टर कालेज के पास 04 अभियुक्तगणों को मय एक सीआज कार के साथ गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों मु0अ0सं0–318/20 धारा–419/420/468/471 भादवि में जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:–

1–दीपक सिंह पत्र श्री बाबूराम नि0 प्रगति नगर निकट प्रकाश बाल विद्या मन्दिर जनपद हरदोई।
2–धनन्जय सिंह पुत्र हवलदार सिंह नि0 धर्मापुर जनपद बहराइच।
3–शैलेन्द्र यादव पुत्र शिवप्रकाश यादव नि0 बर्वा खुर्द पुरवा जनपद उन्नाव।
4–अश्वनी मिश्रा पुत्र सुभाष चन्द्र मिश्र नि0 नदसिया थाना गुरसहायगंज।

पूछताछ का विवरण:–अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का 9–10 लोगों का एक साथ संगठित गिरोह है, जिसके द्वारा हम लोगो ने गूगल पर उज्ज्वला कृषि बाजार के नाम से एक साइट बनवायी गयी है, जिसके प्रचार प्रसार के दौरान उज्ज्वला खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं के विक्रेताओं को उज्ज्वला कृषि बाजार के उत्पादों को बेचने हेतु प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें दुकान का किराया, रखरखाव एवं विक्री के लिये रहने वाले व्यक्ति के लिय 8000/– रु0 प्रति माह की सेलरी देने का झांसा देकर दुकानदार से फर्म का पंजीकरण कराने के नाम पर 1,20000/– रु से लेकर 2,80000/– रु0 तक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में लिये जाते थे, पैसे खाते में आ जाने के बाद हम लोग आपस में कमीशन अपने अपने हिस्से के आधार पर आपस में बांट लेते हैं एवं दुकानदारों को कीटनाशक दवायें आदि भेजने का झांसा देते रहते हैं, जब उस क्षेत्र के सभी दुकानदारों से पैसा आ जाता था उसके बाद हमलोग अपने नं0 बदल कर अन्य जगहो पर निकल जाते थे। अभी तक हमलोगों के इस संगठित गिरोह द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के कई इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण:–

1–हरनाम सिंह पुत्र बृजराज सिंह नि देवरई कला थाना बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ।
2–दीपक पाठक पुत्र ज्ञान चन्द्र नि0 खकशीश थाना जालौन जनपद जालौन ।
3–अनुराग त्रिवेदी पुत्र राकेश त्रिवेदी नि0 हरदोई चुंगी श्यामनगर मन्दिर के पास, थाना कोत0 जनपद सीतापुर।
4–उपदेश यादव पुत्र नामालू नि0 गयपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर।

बरामदगी:–

1–एक कार CIAZ, 08 अदद मोबाइल फोन, 08 अदद गेंहू के जार

अनावरित घटनाओं का विवरण:–

1–दिनांक 16.08.2020 को आवेदक श्री अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री प्रहलाद शुक्ला नि0 जसपुरापुर सरैया थाना तिर्वा जनपद कन्नौज अपने घर पर घर पर खड़े थे तभी दो अनजान व्यक्ति आवेदक के पास आये और खाद बीज दवाओं का व्यापार करने के लिये कहा, जिसके तहत आवदेक को कमीशन व गोदाम का किराया एवं अन्य सुविधायें देने को कहा गया जिसके उपरान्त आवेदक ने कमीशन के आधार पर व्यापार करने की सहमति देदी जिसके उपरान्त उज्ज्वला कृषि बाजार के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,20000/– रु0 जमा करा दिये गये जिसके पश्चात अपराधियों द्वारा अपने मोबाइल नं0 को बन्द कर लिया एवं आवेदक से किसी भी प्रकार से सम्पर्क नहीं किया जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना तिर्वा पर मु0अ0सं0 318/2020 धारा–419/420/468/471 भा0द0वि0 में पंजीकृत है।

2– आवेदक श्री अजित कटियार पुत्र श्री महेश चन्द्र नि0 अब्दुल्लापुर थाना व जनपद कन्नौज को अनुराग त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा खाद बीज दवाओं का व्यापार करने के लिये कहा, जिसके तहत आवदेक को कमीशन व गोदाम का किराया एवं अन्य सुविधायें देने को कहा गया जिसके उपरान्त आवेदक ने कमीशन के आधार पर व्यापार करने की सहमति देदी जिसके उपरान्त उज्ज्वला कृषि बाजार के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,20000/– रु0 जमा करा दिये गये जिसके पश्चात अपराधियों द्वारा अपने मोबाइल नं0 को बन्द कर लिया एवं आवेदक से किसी भी प्रकार से सम्पर्क नहीं किया जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना कन्नौज पर मु0अ0सं0 544/2020 धारा–420/406 भा0द0वि0 में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:–

1–निरीक्षक डा0 विनोद सिंह प्रभारी साइबर क्राइम सेल जनपद कन्नौज।
2–उ0नि0 शैलेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलान्स टीम जनपद कन्नौज।
3–उ0नि0 राकेश कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कन्नौज।
4–हे0का0 190 विजय शंकर राय सर्विलांस टीम जनपद कन्नौज।
5–का0 179 कुलदीप यादव साईबर सेल जनपद कन्नौज।
6–का0 766 दुष्यन्त यादव स्वाट टीम जनपद कन्नौज
7–का0 644 करन सिंह सर्विलांस सेल
8–का0 412 ना0पु0 प्रवीन कुमार एण्टी ऑटो थेफ्ट सेल
9–का0 796 ना0पु0 सुधीर कुमार एण्टी ऑटो थेफ सेल
10–का0 508 ना0पु0 मदन कुमार स्वाट टीम
11–का0 तेज प्रताप सिंह सर्विलान्स टीम
12–का0 687 शिवराज यादव साईबर सेल
13–का0 गजेन्द्र सिंह स्वाट टीम
14–का0 चा0 भूपेन्द्र सिंह स्वाट टीम

द्वितीय टीम:–

1–प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रपाल सरोज थाना तिर्वा ।
2–व0उ0नि0 विजयकान्त मिश्र थाना तिर्वा।
3–उ0नि0 श्री संजीव कटारा थाना तिर्वा।
4–का0 957 सुन्दर सागर थाना तिर्वा।
5–का0 239 दीपक सैनी थाना तिर्वा।

नोट–पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं जनपद की उक्त घटनाओं के अनावरण पर सर्विलांस टीम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी है, एवं उत्साहवर्धन हेतु के पुरस्कार की घोषणा की है।